समाचार–प्रकाशनार्थ :–

निगम के करो की बकाया वसूली मार्च तक 100 प्रतिशत करें–श्री झारिया
निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों को बैठक में दिये निर्देश
बैठक में राजस्व विभाग के अनुपस्थित 3 कर्मचारियों का वेतन काटा

रतलाम 7 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के संपत्तिकर, जलकर, राजस्व, लायसेंस, विकास शाखा आदि विभागों की बकाया वसूली की समीक्षा बैठक लेकर मार्च 2022 तक 100 प्रतिशत बकाया वसूली किये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने संपत्तिकर बकाया वसूली की जानकारी लेकर निर्देशित किया कि ऐसे भवन स्वामी जिनके द्वारा विवरणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल का भवन नपती के बाद प्राप्त हुआ है उन्हे अंतर की राशि का पांच गुना अधिभार का बिल प्रस्तुत कर राशि वसूल की जाये। इसके अलावा औधोगिक क्षेत्र का सर्वे कर संबंधितो से विवरणी भरवाई जाकर संपत्तिकर राशि का बिल दिया जाये।

जलप्रदाय विभाग की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया 10 हजार से अधिक की राशि वाले बकायादार यदि बकाया राशि नहीं जमा कराते है तो 8 फरवरी से उनके नल संयोजन विच्छेद की कार्यवाही को जाये। इसके अलावा उन्होन निर्देशित किया कि अवैध से वैध नल संयोजन की कार्यवाही नियमानुसार की जाये ताकि नगर में अवैध नल संयोजनों को समाप्त किया जा सकें।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने राजस्व विभाग की बकाया वसूली की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि ऐसे द्कानदार जिनकी बकाया राशि 10 हजार से अधिक है उनसे बकाया राशि वसूल की जाये अन्यथा उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही 8 फरवरी से प्रारंभ की जाये। आयोजित बैठक में अनुपस्थित सहायक राजस्व उप निरीक्षक श्री विजय कपूर, स्थायीकर्मी मुकेश मेहता व आनन्द नीमा का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना–पत्र जारी करने के निर्देश दिये।

लायसेंस विभाग की बकाया वसूली की समीक्षा के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नगर में बिना लायसेंस दुकान संचालित करने वालों का सर्वे प्रारंभ किया जाये। इसके अलावा विकास शाखा की संपत्तियों के डाक्यूमेंटेशन का कार्य किये जाने व कम्पाउडिंग के नोटिस जारी के निर्देश संबंधितों को दिये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री सवश्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, राजेश पाटीदार, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर सहित संबंधित विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे।

सीवरेज ट्रीटेड पानी का पुर्नउपयोग (रियूज) प्रारंभ
नागरिक भवन निर्माण, सिंचाई आदि के उपयोग में नगर निगम से न्यूनतम दर पर क्रय कर सकते है ट्रीटेड पानी

रतलाम 7 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट में सीवरेज के ट्रोटेड किये गये पानी का पुर्नउपयोग (रियूज) का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

नगर निगम द्वारा एसटीपी प्लांट में ट्रीटेड किये गये पानी का उपयोग भवन निर्माण, सिंचाई, उद्यान आदि के उपयोग के लिये नगर निगम से न्यूनतम दर प्राप्त कर सकते है। नगर निगम द्वारा इस पानी का उपयोग छिड़काव, उद्यान सहित अन्य कार्यो में किया जा रहा है।

नालो की सफाई का कार्य निरंतर जारी

रतलाम 7 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा 7 फरवरी सोमवार को जवाहर नगर, लक्कड़पीठा व जाटो का वास नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीन, डम्पर, व गैंग द्वारा करवाया जाकर सफाई के दौरान निकलने वाले मलबे व कचरे को जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 6.70 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 07 फरवरो । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 07 फरवरी सोमवार को कुल राशि रूपये 6,70,190/– का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 07 फरवरी सोमवार को संपत्तिकर शिविर से 120807, कार्यालय 109721, वसूली दल 54510 कुल 285038, जलकर शिविर 37520, कार्यालय 306542 कुल 344062, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 39890, स्पॉट फाईन 1200 इस तरह कुल राशि रूपये 6,70,190/– का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

आनन्द कॉलोनी में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 67.82 लाख व जलकर 15.59 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 07 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/– व जलकर 54,850/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर

1,62,575/– व जलकर 34,520/–, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/– व जलकर 63,450/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/– व जलकर 1,19,720/–, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3,20,857/– व जलकर 62,950/–, तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1,28,977/– व जलकर 28,870/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,16,000/– व जलकर 14,000/–, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2,51,600/– व जलकर 1,04,640/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8,61,206/– व जलकर 1,21,090/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2,14,000/– व जलकर 47,000/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2,54,422/– व जलकर 83,700/–, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1,71,500/– व जलकर 27,540/–, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,96,281/– व जलकर 40,240/–, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,45,000/– व जलकर 31,760/–, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3,36,077/– व जलकर 72,440/–, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98,534/– व जलकर 37,465/–, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87,732/– व जलकर 36,660/–, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,91,455/– व जलकर 92,125/–, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,97,298/– व जलकर 64,770/–, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,59,241/– व जलकर 28,140/–, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 6,11,920/– व जलकर 1,56,600/–, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 3,60,338/– व जलकर 1,67,280/–, किरण टॉकिज शिविर में संपत्तिकर 3,89,541/– व जलकर 76,625/–, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,20,807/– व जलकर 37,520/– की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 8 फरवरी को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

7 फरवरी को 2.33 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 07 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 07 फरवरी सोमवार को 2.33 मिट्रिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

07 फरवरी सोमवार को डम्पर से 29895, ट्रेक्टर से 14480, काम्पेक्टर सूखा कचरा 17525, काम्पेक्टर गीला कचरा 17555, डम्पर नाला मलबा 150435, मैजिक सूखा 1825 व मैजिक गीला 1560 किलो इस तरह कुल 233275 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

रतलाम 07 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

9805 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 07 फरवरी । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 07 फरवरी तक 9805 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 07 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत 196 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितगाहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 07 फरवरी । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 07 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 07 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संगहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 07 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 07.02.2022 / न.पा.निगम, रतलाम.